

अजीम प्रेमजी फ़ाउण्डेशन ने राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी), छत्तीसगढ़ के साथ मिलकर एक सद्भावना स्कूल कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य सहभागी स्कूलों के कक्षायी और स्कूली व्यवहारों में 'सद्भावना' के मूल्यों को प्रोत्साहित करना है। इस पायलट कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ के 6 जिलों के 183 स्कूलों में लागू किया गया है।

छत्तीसगढ़ के एक छोटे-से गाँव के एक सरकारी हाई स्कूल की एक बच्ची कहती है कि उसे इस बात का दुख होता है कि वह अपनी सबसे अच्छी सहेली को, जो उसी के गाँव की है, अपने घर नहीं ले जा सकती। वह कहती है, "हम स्कूल में साथ बैठते हैं, साथ पढ़ते हैं और अपना लंच साथ में खाते हैं।" हालाँकि, उसकी कुछ और सहेलियाँ उसके घर आ सकती हैं जो उसी की जाति की हैं, लेकिन उसकी सबसे अच्छी सहेली को उसके घर में नहीं आने दिया जाता, क्योंकि वह कथित नीची जाति की है। उसकी माँ, जो खुद भी हायर सेकेंडरी तक पढ़ी हैं, उसे सिखाती हैं कि हर किसी को बराबरी से देखना चाहिए। लेकिन परिवार के बाकी सदस्य इसके विपरीत सोचते हैं। इस कारण से वह अपनी सबसे अच्छी सहेली को घर नहीं ले जा सकती। अगर ये लड़कियाँ स्कूल में नहीं होतीं तो क्या उन्हें एक-दूसरे को जानने का, एक-दूसरे का दोस्त होने का या जाति और इसके साथ जुड़े हुए श्रेष्ठता बोध और हीनता बोध के बारे में उनके परिवारों से अलग सोच पाने का मौक़ा मिलता?

स्कूलों में ऐसी सम्भावना होती है कि वहाँ अलग-अलग पृष्ठभूमि के बच्चे एक साथ आते हैं और स्वयं अपनी समानताएँ और विभिन्नताएँ अनुभव करते हैं और समझते हैं व समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार के पूर्वाग्रहों, भेदभावों और हिंसा की बेड़ियों को झकझोरने में सफल होते हैं। शिक्षा का अधिकार क़ानून (RTE, 2009) भी सभी बच्चों को स्कूल जाने का और उनके साथ प्यार और देखभाल एवं समानता और गरिमा के साथ व्यवहार किए जाने का अधिकार देता है। एनसीईआरटी का राष्ट्रीय फोकस समूह, 'शिक्षा के लक्ष्य' पर अपने आधार पत्र में शिक्षा को एक मुक्त करने वाली प्रक्रिया के रूप में देखता है जहाँ शिक्षा की प्रक्रिया को सभी प्रकार के

शोषण और अन्याय से मुक्त होना पड़ेगा (जैसे गरीबी, लिंग भेद, जाति एवं साम्प्रदायिक झुकाव)।

हालाँकि, देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाली ख़बरें यह बताती हैं कि स्कूलों में बच्चों के साथ रोज़ाना कई तरीक़ों से बहिष्करण, भेदभाव और असमान व्यवहार होता है। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं :

- रसोइए की जाति या इसी तरह के अन्य कारणों से मिड-डे मील (MDM) में हिस्सा न लेना।
- लड़कियों का स्कूल जाते समय रास्ते में और स्कूल के अन्दर उत्पीड़न झेलना जो कभी-कभी उनके स्कूल छोड़ देने का कारण बन जाता है।
- सहपाठियों को उनकी विकलांगता, शारीरिक बनावट, उनके माता-पिता के पेशों व उनके सामाजिक-आर्थिक स्तर के कारण चिढ़ाना।
- छोटे-छोटे बहस मुबाहिसा जो हिंसा की तरफ़ ले जाते हैं।

विभिन्न तरीक़ों का बहिष्करण, भेदभाव, उत्पीड़न व हिंसा बहुत से बच्चों के रोज़मर्रा के जीवन अनुभव का हिस्सा होता है, विशेषकर उन बच्चों के जो सामाजिक रूप से हाशियाकृत समूहों से आते हैं।

इसके अलावा, वैश्वीकरण और तकनीकी प्रगति के इस युग ने बहुत-से अवसर प्रदान करने के साथ ही नई चुनौतियाँ भी खड़ी की हैं। इंटरनेट की दुनिया ऐसा ही एक क्षेत्र है जहाँ बच्चों को अपने आपको सुरक्षित रखने की क्षमताओं से लैस करने की ज़रूरत है। तकनीकी प्रगति और सोशल मीडिया के दखल के कारण आने वाली ग़लत, द्वेषपूर्ण, पूर्वाग्रह से युक्त सूचनाओं की बाढ़ की वजह से यह ज़रूरी हो जाता है कि बच्चे सूचनाओं का तार्किक परीक्षण करने और सही निर्णयों तक पहुँचने की क्षमताएँ विकसित करें।

सद्भावना स्कूल कार्यक्रम की उत्पत्ति

मूल्य शिक्षा एक वृहत छाते की तरह रही है जिसके तहत स्कूली शिक्षा में समानता और समावेशन के सरोकारों पर ध्यान देने की कोशिश की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 शिक्षा के उद्देश्य को यँ सामने रखती है। इसका उद्देश्य

ऐसे उत्पादक लोगों को तैयार करना है जो कि अपने संविधान द्वारा परिकल्पित समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान करें। इसके आधार हैं नैतिकता एवं मानवीय और संवैधानिक मूल्य जैसे समानुभूति, दूसरों के लिए सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, सार्वजनिक सम्पत्ति के लिए सम्मान, वैज्ञानिक चेतना, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, बहुलतावाद और न्याय। हालाँकि, मूल्य शिक्षा/ नैतिक शिक्षा को प्रायः स्कूलों में एक निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाया जाता है जो प्रायः एक निर्धारित पाठ्यपुस्तक तक सीमित होता है। मूल्य शिक्षा की कक्षा में जो पढ़ाया जाता है, स्कूल की संस्कृति प्रायः उससे अलग होती है।

शिक्षा एक न्यायपूर्ण, न्यायसंगत, मानवीय और टिकाऊ समाज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे समाज में अपनी भूमिकाएँ निभाने के लिए क्षमताओं और रूझानों से लैस लोगों के विकास में और साथ ही, व्यक्ति

के सर्वांगीण विकास में शिक्षा का महत्त्व सर्वाधिक है। गरिमा, स्वतंत्रता, न्याय और शान्ति जैसे कुछ सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत मूल्य हैं जो मनुष्य के कार्य को तय करने में और उनका मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि ये ऐसी आत्मसात की हुई संरचनाएँ होते हैं जो सही व गलत का भाव पैदा करने के साथ ही प्राथमिकताओं का एहसास भी पैदा करते हैं। मूल्यों को व्यक्तिगत और सामुदायिक, दोनों स्तरों पर देखा जा सकता है।

छत्तीसगढ़ में कुछ स्कूल अपने सभी स्कूली व कक्षायी व्यवहारों के जरिए संवैधानिक मूल्यों को जीने के लिए आगे आए हैं और उन्होंने *सद्भावना* स्कूल कार्यक्रम लागू किया है।

सद्भावना स्कूल कार्यक्रम

सद्भावना शब्द का मतलब समाज में शान्ति, समन्वय, एकता और अखण्डता बनाए रखना है। एक-दूसरे के प्रति सम्मान, दयालुता और सहकार पर आधारित सम्बन्ध ऐसे समाज



चित्र-1 : सद्भावना स्कूल कार्यक्रम की रूपरेखा।

की बुनियाद होते हैं। चूँकि स्कूलों को ऐसी प्रवृत्तियों और क्षमताओं को प्रेरित व पोषित करने वाले संस्थानिक प्रबन्ध के रूप में देखा जाता है, इसलिए स्कूल और कक्षा के व्यवहार वह क्षेत्र बन जाते हैं जहाँ शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर काम करते हुए धर्मनिरपेक्ष व लोकतांत्रिक व्यवस्था के इन मूल्यों को सीखते और जीते हैं। ऐसा करते हुए वे राष्ट्र की एकता और अखण्डता को सुनिश्चित करते हैं जैसा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित किया गया है।

मार्गदर्शक सिद्धान्त

पाठ्यचर्या एकीकरण और आवधिक आत्म-आकलन इस कार्यक्रम के दो महत्वपूर्ण अवयव हैं। पाठ्यचर्या एकीकरण का मतलब रोजाना की कक्षा गतिविधियों में कार्यक्रम को शामिल कर लेना है बजाय इसके कि इसे एक पृथक गतिविधि के रूप में चलाया जाए। कार्यक्रम के पाँच मार्गदर्शक सिद्धान्त हैं :

1. उपदेश की जगह व्यवहार

यह स्थापित बात है कि किसी भी मूल्य को सबसे अच्छी तरह व्यवहार में लाकर ही पोषित किया जा सकता है। इसलिए कार्यक्रम का ध्यान सिर्फ इन मूल्यों के बारे में सीखना नहीं है बल्कि स्कूल के समस्त मेलजोल और गतिविधियों के दौरान इन्हें व्यवहार में लाना भी है। सभा, मिड-डे मील, सहपाठियों के बीच रिश्तों, विद्यार्थी-शिक्षक रिश्तों, कक्षा प्रबन्धन आदि से सम्बन्धित कुछ स्पष्ट व्यवहारों की एक सूची दी गई है, जिसे स्कूल धीरे-धीरे अपनी स्कूली संस्कृति का हिस्सा बनाने का लक्ष्य रखेगा।

2. सभी स्कूली और कक्षा गतिविधियों के साथ इस कार्यक्रम का निर्बाध एकीकरण

कोई भी विशेष कार्यक्रम अक्सर एक विशेष गतिविधि, पाठ्यचर्या या घटना तक सीमित होता है। किसी भी सार्थक प्रभाव के लिए सद्भावना स्कूल कार्यक्रम को निर्बाध तरीके से समस्त स्कूली व कक्षा गतिविधियों के साथ एकीकृत करना होगा। पाठ्यचर्या एकीकरण ऐसी ही एक रणनीति है जिसका उद्देश्य इस कार्यक्रम को एक अलग-थलग गतिविधि के रूप में चलाने की बजाय रोजाना की कक्षा गतिविधियों में मिलाना है।

3. सभी हितधारकों का सहयोगपूर्ण प्रयास

स्कूल को इस कार्यक्रम पर एक टीम के रूप में काम करना होगा और उद्देश्य के अनुसार प्रयासों को जारी रखने के लिए नियमित रूप से सोच-विचार करते हुए सहमति बनानी होगी। पदाधिकारियों का सहयोग भी इस कार्यक्रम की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा।

4. दीर्घकालिक प्रतिबद्धता

किसी भी संस्था की संस्कृति के हिस्से के तौर पर किसी चीज को विकसित करने में समय लगता है और यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि यह तुरन्त हो जाएगा। इसके लिए एक समयावधि में लगातार प्रयासों की जरूरत होगी।

5. नियमित आत्म-आकलन

आवधिक आत्म-आकलन करने से स्कूलों को अपनी उपलब्धियों को समझने में और उन क्षेत्रों को पहचानने में मदद मिलेगी जहाँ ज्यादा प्रयास किए जाने की जरूरत है।

काम के क्षेत्र

स्कूलों की प्रतिदिन की गतिविधियों में क्षमताओं और रुझानों पर काम करने के लिए चार क्षेत्रों की पहचान की गई है। वे इस तरह हैं :

1. एक देखभाल करने वाली, सहयोगपूर्ण और समावेशी स्कूली संस्कृति का निर्माण करना।
2. स्कूलों में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा को सुनिश्चित करना।
3. आम रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ना।
4. इन मूल्यों को समुदाय तक लेकर जाना।

क्षेत्र-1 : एक देखभाल करने वाली, सहयोगपूर्ण और समावेशी स्कूली संस्कृति का निर्माण करना

सामाजिक प्रक्रिया और सीखने की प्रक्रिया, दोनों ही रूप में सीखना एक समावेशी माहौल में सबसे अच्छी तरह से घटित होता है, जहाँ सहकार और सहयोग होता है। हर एक को यह महसूस होता है कि उसकी परवाह की जा रही है और उसे विविध पृष्ठभूमियों और दृष्टिकोणों को जानने का मौका मिलता है। इससे टीम के रूप में काम करने और विभिन्न सन्दर्भों को जानने-समझने के अवसर भी पैदा होते हैं क्योंकि विद्यार्थी तब यह सीखते हैं कि अपने विचारों और दृष्टिकोणों को कैसे सामने रखा जाए और उनका बचाव किया जाए। इससे विद्यार्थियों को अपने ज्ञान के निर्माण के लिए अपनी खुद की एक रूपरेखा विकसित करने का अवसर मिलता है। सहयोग, सम्प्रेषण और लचीलापन इस क्षेत्र के तीन मुख्य कौशल हैं।

सहभागिता : विभिन्न लिंग, जाति, धर्म, अकादमिक और अन्य क्षमताओं वाले विद्यार्थियों के बीच सहभागिता से उन्हें एक-दूसरे को जानने और उनके साथ दोस्ती करने का अवसर मिलेगा। ऐसे अवसर उन विद्यार्थियों को न सिर्फ बेहतर सीखने में मददगार होंगे बल्कि उन्हें समूहों और टीमों में काम करने के लिए कौशल विकसित करने में भी मदद करेंगे।

सम्प्रेषण : संवेदनशीलता और समानुभूति के साथ सम्प्रेषण एक महत्वपूर्ण कौशल है जो बच्चों को दूसरों के साथ अपनी भावनाएँ और विचार सम्प्रेषित करने के क्राबिल बनाता है और उन्हें एक-दूसरे को जानने-समझने में मदद करता है।

लचीलापन : लचीलापन विविधता भरे बदलते वातावरण और सन्दर्भ के अनुरूप खुद को ढालने की क्षमता है।

कुछ ऐसे व्यवहार जिन्हें स्कूलों ने अपने स्कूल में प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है :

- विद्यार्थियों की विविध कमेटियों से, नियमों को बनाने व कार्यक्रमों की योजना बनाने में विद्यार्थी संगठनों की भागीदारी से और स्कूल प्रबन्धन में समुदाय के सदस्यों की भागीदारी आदि के ज़रिए एक सकारात्मक और सहयोगपूर्ण कक्षायी व स्कूली संस्कृति को विकसित करना।
- केवल 'सर्वोत्तम' विद्यार्थियों के काम को दर्शाने की बजाय सभी विद्यार्थियों के कामों को दर्शाते हुए एक निष्पक्ष प्रक्रिया का अनुसरण करना।
- सभी धर्मों के त्योहारों को मनाने के ज़रिए एक लोकतान्त्रिक और समानुभूति वाली संस्कृति को निर्मित करना।
- स्कूल में विद्यार्थियों या शिक्षकों की जाति, सामाजिक-आर्थिक वर्ग, लिंग, धर्म, खान-पान की आदतों, क्षमता या बुद्धिमत्ता के आधार पर किसी भी तरीके का खुला या छिपा हुआ भेदभाव न करना।
- समुदाय और देखभाल करने वालों/ अभिभावकों के साथ एक सक्रिय और जोड़ने वाला सम्बन्ध कायम करना।

क्षेत्र-2 : स्कूलों में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा को सुनिश्चित करना

एक असुरक्षित, गाली-गलौज से भरा, भेदभावपूर्ण और हिंसक परिवेश बच्चों के अकादमिक प्रदर्शन को बाधित करता है। इसके कारण बहुत-से बच्चे स्कूल तक छोड़ देते हैं। ऐसे परिवेश के परिणामस्वरूप आत्म-सम्मान और आत्मविश्वास कम हो सकता है और यह दूसरों को असंवेदनशील बना सकता है। वे यह सोच सकते हैं कि ऐसी चीजें तो सामान्य होती हैं और स्वीकृत सामाजिक व्यवहार का हिस्सा होती हैं। यह ज़रूरी है कि स्कूल एक सकारात्मक परिवेश प्रदान करे, जिसमें स्कूल परिसर के भीतर कोई सज़ा, धमकी, उत्पीड़न, डाँट-डपट या अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यहाँ एक ऐसा सुरक्षित भौतिक वातावरण बनाए जाने की भी ज़रूरत है, जिसमें पीने का साफ़ पानी, साफ़ शौचालय एवं दुर्घटना और जोखिम के न्यूनतम खतरे वाला सुरक्षित खेल

का मैदान होना चाहिए। ऑनलाइन सुरक्षा, एक अन्य ऐसा क्षेत्र है जिसका स्कूलों में ध्यान रखा जा सकता है क्योंकि मोबाइल और इंटरनेट के रूप में तकनीक बच्चों की जिन्दगी में दाखिल हो चुकी है।

संवेदनशीलता और समानुभूति

ये दो मूल्य इस क्षेत्र के केन्द्र में हैं। इससे बच्चे यह समझ पाते हैं कि दूसरे कैसा महसूस करते हैं और कैसे उनके शब्द और कार्य दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। यह उन्हें दूसरों के विचारों और भावनाओं को समझने की क्षमता हासिल करने में भी मदद करता है।

आत्म-जागरूकता

जब बच्चे खुद को बेहतर तरीके से समझते हैं, तो उनके लिए आत्म-सम्मान को बनाना आसान हो जाता है। यह उन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो स्कूल में या अन्य बच्चों के साथ दोस्तियों में समस्याओं का सामना करते हैं।

आत्म-प्रबन्धन

इससे बच्चों को अपना व्यवहार सुधारने में भी मदद मिलती है, जैसे गुस्से पर काबू पाना। यह न केवल उन्हें अपनी चुनौतियों को समझने का अवसर देता है बल्कि उन्हें इस बात का भी अहसास कराता है कि वे क्या अच्छा कर रहे हैं। अपनी और दूसरों की भावनाओं को अच्छी तरह समझ लेने की क्षमता व्यक्तिगत व्यवहार को प्रभावित करती है, जैसे आत्म-नियंत्रण, जो ज़रूरी है और सशक्त बनाता है।

स्कूलों ने ऐसे व्यवहारों को लाने का निर्णय किया है जो उपरोक्त रज़ानों और क्षमताओं को विकसित करने में मदद करेंगे। ऐसी रणनीतियों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं :

- स्कूल में किसी भी प्रकार का शारीरिक दण्ड न देना।
- विद्यार्थियों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों जैसे सुरक्षित पीने का पानी, साफ़ शौचालय, सुरक्षित और साफ़ कक्षाएँ, बैठने की व्यवस्था, खेल के मैदान, मिड-डे मील व्यवस्था आदि की समीक्षा और उन पर काम करना।
- बच्चों को सामाजिक-भावनात्मक सहयोग प्रदान करने की क्षमता का विकास करना।
- ऐसी कक्षा प्रक्रियाओं पर ध्यान केन्द्रित करना जो सक्रिय रूप से सीखने, सोचने और अभिव्यक्त करने को प्रोत्साहित करती हों। कक्षा में आदान-प्रदान के दौरान बच्चों को बहस करने, सवाल करने और आलोचनात्मक ढंग से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना। आत्म-चिन्तन के लिए अवसर प्रदान करना।
- विद्यार्थियों और उनके नज़रियों के प्रति कोई फ़ैसला सुनाए

बिना उन्हें सक्रिय रूप से सुनकर एवं कक्षा गतिविधियों के दौरान सम्मानजनक बर्ताव और भाषा अपनाकर उनके सभी संवादों-मेलजोल के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना। प्रशंसा के रूप में उन लोगों को सकारात्मक मज़बूती भी मिलेगी जो ऐसे बर्ताव का पालन करते हैं।

- बच्चों की खुशहाली के लिए परवाह और सरोकार दर्शाकर और उनके प्रति करुणा भरी प्रतिक्रिया देकर समानुभूति दिखाना।
- सभी बच्चों को अवसर प्रदान करना जिससे उनका आत्म-सम्मान निर्मित होगा।
- साइबर दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए बच्चों को सशक्त बनाना।

क्षेत्र-3 : आम रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ना

रूढ़िबद्ध धारणाएँ, लोगों के किसी खास समूह (जाति, वर्ग, लिंग आदि) के बारे में सामान्यीकृत, बिना जाँची-परखी और निराधार धारणाएँ होती हैं। ऐसे विचार सामान्य तौर से अल्पसंख्यकों, समाज के वंचित और सुविधाविहीन तबकों के खिलाफ़ इस्तेमाल किए जाते हैं और उनके बहिष्करण, उनके खिलाफ़ भेदभाव, दमन, उत्पीड़न और हिंसा को जायज़ ठहराने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे समाज में, जहाँ जातीय, वर्गीय और लैंगिक असमानताएँ भरी पड़ी हैं, रूढ़िबद्ध धारणाएँ स्वतंत्रता, समानता, न्याय व भाईचारे के हमारे उन संवैधानिक आदर्शों के खिलाफ़ विभाजनकारी और भेदभावपूर्ण बाधाएँ खड़ी करती हैं, जिन्हें यह कार्यक्रम प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है।

स्कूलों में बहुत-सी चुनौतियाँ प्रायः शिक्षकों और विद्यार्थियों में व्याप्त इन रूढ़िबद्ध धारणाओं पर ही आधारित होती हैं और जो सामूहिक चिन्तन से ही तोड़ी जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, एक आम धारणा है कि एक खास जाति या वर्ग से आने वाले बच्चे अकादमिक क्षेत्र में कुछ खास नहीं कर सकते। शिक्षकों के एक समूह से चर्चा करते हुए इस रूढ़िबद्ध धारणा को उनके सामने प्रतिक्रिया के लिए रखा गया कि कब और कैसे यह धारणा बनी होगी और इससे किसे लाभ या हानि है। समूह ने यह निष्कर्ष निकाला कि पुराने समय में सामन्ती ज़मींदारों ने इस विचार को बढ़ावा दिया होगा ताकि श्रमिक वर्ग शिक्षा पाने के लिए अपने कामों को छोड़कर न जाए।

इस बात को समझने के लिए विश्लेषण और समझ की ज़रूरत होती है कि उपयुक्त सहयोगी वातावरण में प्रत्येक बच्चा अच्छे शिक्षार्जन के योग्य बन सकता है। बच्चों को सीखने का अवसर उपलब्ध कराना सद्भावना स्कूल कार्यक्रम का एक प्रमुख उद्देश्य है।

सम्मान, गरिमा, आलोचनात्मक सोच, संवेदनशीलता और सहयोग की प्रवृत्ति इस क्षेत्र के केन्द्र में हैं। ये कुछ व्यवहार हैं जो इस कार्यक्रम को लागू करने वाले स्कूलों ने इस क्षेत्र में रखे हैं। वे इस तरह हैं :

- जहाँ लड़कियाँ-लड़के साथ में काम कर रहे हों, उन सारी स्कूली प्रक्रियाओं में लैंगिक समानता सुनिश्चित करना, जैसे मिड-डे मील। पारम्परिक भूमिकाओं और गतिविधियों को चुनौती दी जाती है - जैसे लड़कियाँ फुटबाल और क्रिकेट जैसे खेल खेलती हैं और लड़के मिड-डे मील परोसते हैं और कक्षा को बुहारते हैं।
- सभी जाति के विद्यार्थियों को साथ बैठने, साथ खाने और साथ खेलने के लिए प्रोत्साहित करते हुए समतामूलक स्कूल संस्कृति का निर्माण करना। विद्यार्थी क्रमवार बैठने की व्यवस्था का अनुसरण करते हैं जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी को सबसे आगे की सीट पर बैठने का अवसर मिलता है।
- सभा में धर्मनिरपेक्ष व देशभक्तिपूर्ण गीतों को बढ़ावा देते हुए और सभी धर्मों के मुख्य त्योहारों को मनाते हुए एक धर्मनिरपेक्ष वातावरण को प्रोत्साहित करना।
- सभी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमियों वाले विद्यार्थियों को सीखने-सिखाने की प्रक्रिया और सभी गतिविधियों में भागीदारी करने और नेतृत्व की भूमिका लेने के लिए प्रोत्साहित करना। अन्तर-विद्यालयी प्रतियोगिताओं और दूसरी गतिविधियों में स्कूल का प्रतिनिधित्व करने को मज़बूती से बढ़ावा देना।

क्षेत्र-4 : इन मूल्यों को समुदाय तक लेकर जाना

स्कूल की संस्था में अभिभावक और समुदाय महत्वपूर्ण हितधारक होते हैं। संस्थागत प्रबन्धन इस तरह किए गए हैं ताकि स्कूल के प्रबन्धन में समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। हालाँकि, फिर भी समुदाय और स्कूल के बीच सहयोग को बेहतर करने की गुंजाइश बची है। शिक्षकों को यह समझने की ज़रूरत होती है कि वे बच्चों को अकादमिक धरातल पर सहयोग देने की अभिभावकों की योग्यता को समझ सकें। समुदाय का सहयोग और भागीदारी कार्यक्रम के लिए बहुत ज़रूरी है और यह भी उतना ही ज़रूरी है कि शिक्षक परिवार की सीमाओं को समझें। स्थानीय सन्दर्भ/ भाषा की समझ भी शिक्षकों को बच्चों के साथ मज़बूत रिश्ता बनाने में मदद कर सकती है। इससे उन्हें बेहतर शैक्षणिक रणनीतियाँ तैयार करने में मदद भी मिल सकती है।

सभी समुदायों में अच्छे और प्रतिगामी दोनों व्यवहार होते हैं। शिक्षक अच्छे व्यवहारों को सामने लाने और उन्हें स्कूल में बच्चों के साथ साझा करने के लिए समुदाय के सदस्यों को

आमंत्रित कर सकते हैं। इससे न सिर्फ उस समुदाय के साथ मज़बूत सम्बन्ध बनाने में मदद होगी बल्कि विद्यार्थियों को इस बात का प्रोत्साहन भी मिलेगा कि वे अच्छी संस्कृति, व्यवहार, ज्ञान व कला आदि को सराह सकें। इसी तरह, प्रतिगामी व्यवहारों के बारे में जागरूकता से शिक्षकों को यह मदद मिलेगी कि वे स्कूल में चर्चा, विश्लेषण और सोच-विचार

के ज़रिए इन चीज़ों पर काम करने के लिए रणनीति बना सकें। सद्भावना के व्यवहार को एक विकासमान स्कूली व्यवस्था के रूप में समझा जाता है जिसे स्कूल की सीमाओं के अन्दर और बाहर लगातार पोषण की ज़रूरत होती है ताकि वह सार्वभौमिकता हासिल कर सके।

References

- Azim Premji Foundation (2022), Sadbhavna Vidyalay Margdarshika, Pilot Program, 2022-23
- Government of India (2012), Values Education - A Handbook for Teachers, CBSE, New Delhi, India. Retrieved from http://cbseacademic.nic.in/web_material/ValueEdu/Value%20Education%20Kits.pdf
- Government of India (1966), Report of the Education Commission, Ministry of Education, New Delhi
- Government of India (1986), National Policy on Education, Ministry of Education, New Delhi
- Government of India (2012), Education for Values in Schools – A Framework. Retrieved from http://www.ncert.nic.in/pdf_files/Framework_educationCOMPLETEBOOK.pdf
- Government of India, Ministry of Health and Family Welfare (2016), National Mental Health Survey 2015-16. Retrieved from https://main.mohfw.gov.in/sites/default/files/National%20Mental%20Health%20Survey%2C%202015-16%20-%20Mental%20Health%20Systems_0.pdf
- National Council for Education Research and Training (NCERT), (2000), National Curriculum Framework for School Education, Position Paper
- National Council for Education Research and Training (NCERT), (2015), Position Paper, National Focus Paper on Education for Peace
- National Crime Records Bureau (NCRB), (2015), Crime in India, Statistics. Retrieved from <https://ncrb.gov.in/en/crime-india-year-2015>
- National Crime Records Bureau (NCRB), (2019), Crime in India, Statistics. Retrieved from <https://ncrb.gov.in/en/crime-india-2019-0>
- Ramachandran V. and Naorem T. (2013), What it means to be a Dalit or tribal child in our schools: A synthesis of a six-state qualitative study, Economic and Political Weekly, November 2, 2013, vol xlvi no 44
- Right of Children to free and compulsory Education Act (RTE), 2009, The Gazette of India, Ministry of Law and Justice



सुरेश साहू रायपुर, छत्तीसगढ़ में अज़ीम प्रेमजी फ़ाउण्डेशन के साथ काम करते हैं। वे फ़ाउण्डेशन की फ़िल्ड रिसर्च में भी योगदान करते हैं। उन्हें विकास और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का 20 वर्षों से ज़्यादा का अनुभव है। उनसे suresh.sahu@azimpremjiifoundation.org पर सम्पर्क किया जा सकता है।

अनुवाद : मनीष आज़ाद पुनरीक्षण : भरत त्रिपाठी कॉपी एडिटर : अनुज उपाध्याय